न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

03/2019

प्रकरण संख्या

राजेन्द्र प्रसाद गुर्जर निवासी ग्राम ढोढरिया पोस्ट बोरखण्डीकलां वाया– डिग्गी जिला–टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला–टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 27–2–2019

निर्णय

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को दिनांक 15–11–2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना देने हेतु निवेदन किया –

1–शस्त्र अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र की पत्रावली के सारे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ आपका कार्यालय पत्रांक न्याय/634 दिनांक 3–2–2017 की प्रमाणित प्रतियां

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू के विरूद्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू को पत्र कमांक 92 दिनांक 7–2–2019 से जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू ने आदिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है। बार–बार दूरभाष पर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्राप्त नही हुआ है। जबकि अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 15 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

Scanned by CamScanner